फर्द अहकाम

सरजू देवी बनाम [illegible]

नाम न्यायालय उ.ख.अ. II सांगानेर

केस संख्या 17/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा [illegible]
	13/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वास्ते बहस T.I. हेतु दि० 26/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)
	26/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वकील उभयपक्षों की प्रार्थना पत्र T.I. पर बहस सुनी गई। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड, प्रार्थना पत्र T.I. व इसी न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29/1/2018 का अवलोकन करने व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम फतेहपुरा तहसील सांगानेर के प्रार्थीया व अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 स्व० श्री रूपा की संतान है वादग्रस्त आराजी मे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीया का हिस्सा निहित है। जो बाद मे साक्ष्य, सबुत व दस्तावेजात के आधार पर निर्णित किया जावेगा। चूंकि प्रार्थीया स्व० रूपा की पुत्री है जिससे रूपा की खातेदारी की आराजी मे प्रार्थीया का हिस्सा निहित है। प्रकरण मे प्रथमदृष्ट्या केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष मे पाये जाते अतः इसी न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 29/1/18 को ता-फैसला दावा Absolute स्थायी किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)